यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

सीन अधिकारी :– दुर्गा शंकर मीना (RAS)

ादपत्र संख्या :– 59 / 2019

1. भरत उर्फ लव आयु 20 साल आत्मज चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. चरतराम उर्फ कुश आयु 19 साल आत्मज चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

–वादीगण

<u>बनाम</u>

1. ललताराम आत्मज श्री चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. सीताराम आत्मज श्री चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. शिमला उर्फ अनीता पुत्री चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
4. नन्दकंवरी पत्नि स्व0 चन्दालाल जाति कुम्हार निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

–प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट</u>
<u>एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>
<u>बाबत् अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती</u>

उपस्थित :–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री रामकिशन प्रजापत
2. प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 स्वयं उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दिनांक– 04.11.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण की ओर से उक्त वादपत्र बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का दि. 10.04.2019 को पेश किया गया।

2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 255 व पुराना 245 के खसरा संख्या 202 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 203 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके माल आजन्दा एवं खाता सं. नया 256 व पुराना 243 के ख. सं. 225 रकबा 1.56 है0 वाके माल आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें खाता संख्या 255 में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहीत है। खाता संख्या 256 में वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा निहीत है। जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके अनुसार काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि पर हम वादीगणो का नाम लव व कुश दर्ज है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम शिमला दर्ज है। जब उक्त समय नामान्तकरण दर्ज किया गया तो वादीगण नाबालिग थे। इस कारण से सामान्य बोलचाल के नाम पटवारी हल्का के द्वारा दर्ज किये गये है जबकि लव का वास्तविक नाम भरत है तथा कुश का वास्तविक नाम चरतराम है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 शिमला का वास्तविक नाम अनिता दर्ज है जबकि वादीगण का वास्तविक नाम चरतराम, भरत है तथा लोग वादीगणो को इसी नामो से जानते एवं पहचानते है तथा आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, स्कूल के रिकार्ड, राशन कार्ड वगै0 सभी कागजी दस्तावेजो में वादीगणो का नाम चरतराम व भरत है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम अनीता है जिसकी ताईद आधार कार्ड से होती है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगणो एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम गलत अंकन हो जाने के कारण वादीगणो को लोन आदि लेने, केसीसी जमा करवाने, बंटवारा आदि करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

नाम लव, कुश एवं शिमला के स्थान पर भरत उर्फ लव, चरतराम उर्फ कुश एवं अनिता उर्फ शिमला दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे।

3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने आपसी सहमति से दिनांक 08.08.2019 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। उभयपक्षो के द्वारा दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत राजीनामा को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा अनुसार वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: निर्णय ::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 255 व पुराना 245 के खसरा संख्या 202 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 203 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके माल आजन्दा एवं खाता सं. नया 256 व पुराना 243 के ख.सं. 225 रकबा 1.56 है0 वाके माल आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. में दर्ज नाम लव, कुश एवं शिमला के स्थान पर भरत उर्फ लव, चरतराम उर्फ कुश एवं अनिता उर्फ शिमला अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 04.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

4/11/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

इजलास–दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

भरत उर्फ लव **V/S** ललताराम वगै0

वाद–अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर :: 59/2019

वादीगण की ओर से श्री रामकिशन प्रजापति, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 स्वयं की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 255 व पुराना 245 के खसरा संख्या 202 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 203 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके माल आजन्दा एवं खाता सं. नया 256 व पुराना 243 के ख.सं. 225 रकबा 1.56 है0 वाके माल आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. में दर्ज नाम लव, कुश एवं शिमला के स्थान पर भरत उर्फ लव, चरतराम उर्फ कुश एवं अनिता उर्फ शिमला अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल वादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.11.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

5/11/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner